न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)
प्रकरण (दावा)सं0——126 / 2019
प्रविष्टि दिनांक ——10.10.2019

उनवान

रामरतन पुत्र श्री औंकार जाति जाट निवासी ग्राम रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)

–वादी / आवेदक

बनाम

1. केसरा पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
2. रामजीवन पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
3. मनखुश पुत्र मदन जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
4. कृष्णा पुत्र मदन जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
5. निशा पुत्र मदन जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
6. नोरती धर्मपत्नि मदन जाट जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक
7. श्योनारायण पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक
8. गोपाल पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
9. काशीराम पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
10. रामकल्याण पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक
11. राजेश पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
12. पोखर पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
13. सूरजकरण पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
14. सोनी पुत्री मोती जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
15. फूला पुत्रह मोती जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
16. संतरा पुत्री मोती जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
17. केसरा पुत्र नानगराम जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
18. जवाहरलाल पुत्र नानगराम जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक
19. फूमा पुत्री नानगराम जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
20. घासीराम पुत्र हीरा जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
21. गुलाब पत्नि हीरा जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
22. तहसीलदार टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश यादव – वकील आवेदक
श्री शिवराज चांगल – वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 15/01/2021

अधिवक्ता वादी / आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि आराजी ख0नं0 139 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा माल–2 वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई पटवार हलका चन्दलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0) में स्थित है जिसका अंकन खाता संख्या 88 ग्राम रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील टोंक जिला टोंक (राज0) में जमाबन्दी राम्वत 2072 से 2075 में हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी का आवेदक तन्हा मालिक, स्वामी, खातेदार, काबिज काश्तकार है और कदीम से काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। आवेदकगण की उपरोक्त आराजी के पूर्वी गेरगुमकिन रास्ता भूमि खसरा नं0 151 व उसके बाद प्रतिपक्षी सं0 1 लगायत 11 की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 152 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित है तथा भूमि ख0नं0 150 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा प्रतिपक्षीगण संख्या 12 लगायत 21 की खातेदारी की है। आवेदक अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 139 में कदीम से भूमि ख0नं0 147 गैर मुमकिन रास्ते से होता

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी। हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 150 व 152 की मध्य की मेड से 15 फिट रास्ता चाहा गया है वादी की भूमि ख0नं0 139 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा ग्राम रहीमपुरा में आने जाने हेतु ख0नं0 139 से लगता हुआ ख0नं0 151 गै0मु0 रास्ता पहले से ही मौके पर मौजूद है एवं ख0नं0 151 से लगता हुआ ख0नं0 144 सिवायचक भूमि एवं 145 वादी की स्वयं की खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी के पास उसकी खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता पहले से ही उपलवध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण का आवेदन पत्र खारिज करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदार टोंक से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वादी को उसकी खातेदारी भूमि पर आने–जाने का रास्ता पहले से ही उपलब्ध होने से भारहीन एंव सारहीन हो गया है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी टोंक